भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 373318

ॐ

स्टाम्प का कुल योग	–	17,000/–रूपया।
दस्तावेज का प्रकार	–	बैनामा रजिस्ट्री।
सम्पत्ति का प्रकार	–	कृषि भूमि।
मौजा/परगना	–	मौजा ग्राम करगुवां तहसील व जिला झाँसी।
आराजी नं0/रकवा	–	खाता सं0 080 में आराजी नं0 251 रकवा 0–271 है0 कुल भूमि यानी उक्त नम्बरान मे सम्पूर्ण भाग व खाता सं0 078 मे आराजी नं0 254/1 रकवा 0–308 भूमि मे से 1/2 भाग यानी 0–154 है0 भूमि यानी मुकिर उक्त नम्बरान मे अपने सम्पूर्ण भाग को वय कर रहा है यानी मुकिर कुल 0–425 है0 भूमि को वय कर रहा है।

८१३६ ५००० भगवती पत्नी नन्दकिशोर
५-१०-२००६ नि० सिविल लाइन [illegible]

उप कोषागार
1 OCT 2007
झाँसी

राजेश कुमार [illegible]
[illegible]
तहसील [illegible]

63

उप कोषागार [illegible]
[illegible] उप कोषाधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 373319

(2)

सड़क की स्थिति	–	झाँसी–कानपुर सड़क से 500 मी0 से अधिक दूरी पर एवं आबादी से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
भूमि का मूल्यांकन	–	रेट लिस्ट क्रंमाक 11–ड के अन्तर्गत 4,00,000/– रू0 प्रति हैक्टेयर ।
विक्रय मूल्य	–	1,75,000/– रूपया।
बाजारू कीमत	–	2,10,000/– रूपया जिसमें भूमि की बाजारू कीमत 1,70,000/–रू0 से अधिक नही है व एक पक्का कुँआ जिसके 1/2 भाग की बाजारू कीमत 40,000/–रू0 से अधिक नही है।
प्रथम–पक्ष की संख्या	–	एक।
द्वितीय–पक्ष की संख्या	–	एक।
नाम व पता विक्रेता का	–	रामगोपाल उर्फ गुपाल पुत्र स्व0 श्री पिन्ना उर्फ पिन्ने निवासी– ग्राम करगुवां तहसील व जिला झाँसी।

रामगोपाल

भगवती

2940, 2000 भगवती पत्नी
नन्दकिशोर सिंह
शिवाजी नगर झाँसी

उप कोषागार
1 OCT 2007
झाँसी

राकेश कुमार शर्मा
स्टाम्प वेण्डर
तहसील झाँसी

64

कार्यालय उप कोषागार

विक्रय पत्र

175,000.00/	**210,000.00**	4,200.00	20	4,220.00		700
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग		शब्द लगभग

श्री /श्रीमती भगवती देवी
पुत्र / पत्नी श्री पत्नी श्री नन्द किशोर कुशवाहा
पेशा गृहिणी
निवासी स्थायी 149-बी. शिवाजी नगर झांसी
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 6/10/2007 समय 10:18AM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

श्रवण कुमार पुरवार
उपनिबंधक प्रथम
झाँसी
6/10/2007

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती रामगोपाल उर्फ गोपाल
पुत्र/पत्नी श्री स्व.श्री पित्रा ऊर्फ पित्रे
पेशा कृषि
निवासी ग्राम करगुवां पंर. व जिला झांसी

क्रेता
श्री/श्रीमती भगवती देवी
पुत्र/पत्नी श्री पत्नी श्री नन्द किशोर कुशवाहा
पेशा गृहिणी
निवासी 149-बी. शिवाजी नगर झांसी

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एड्वोकेट
पुत्र श्री
पेशा वकालत
निवासी तहसील कम्पा. झांसी
व श्री प्रेमनारायण
पुत्र श्री गोपाल दास
पेशा कृषि
निवासी मेडिकल कालेज करगुवां जी झांसी
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

श्रवण कुमार पुरवार
उपनिबंधक प्रथम
झाँसी
6/10/2007

रामगोपाल भगवती लक्ष्मणप्रसाद शर्मा प्रेमनारायण

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 373320

नाम व पता क्रेता का – श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री नन्दकिशोर कुशवाहा निवासी–149–बी0, शिवाजी नगर शहर व जिला झाँसी।

सम्पत्ति का विवरण – आराजी भूमि स्थित मौजा ग्राम करगुवां तह0 व जिलाझाँसी में है उक्त आराजी भूमि मौके पर राकर सोयम सिंचित एक फसली है उक्त आराजी भूमि में कोई पेड़ आदि नही है उक्त आराजी भूमि मे एक पक्का कुआ है जिसके 1/2 भाग को वय किया गया है। उक्त आराजी भूमि का नक्शा दस्तावेज के साथ संलग्न है जो बैनामा का अंश भाग है उक्त प्लाट वक्फ ट्रस्ट व ग्राम सभा की सम्पत्ति नही है उक्त आराजी भूमि मुकिर की पैत्रिक सम्पत्ति है उक्त आराजी भूमि पूर्णतया कृषकीय भूमि है व कृषि कार्य हेतु वय की जा रही है उक्त आराजी भूमि औधौगिक क्षेत्र मे स्थित नही है उक्त आराजी भूमि किसी भी मार्ग पर स्थित नही है। क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नही है विक्रीत आराजी भूमि की चौहद्दी– पू0– खेत क्रेता, प0– खेत क्रेता, उ0– खेत क्रेता व द0– खेत क्रेता का है।

रामगोपाल भगवती

2-10-2006

उप कोषागार
1 OCT 2007
झाँसी

65

विक्रेता

Registration No 4087 Year : 2007 Book No. 1

0101 रामगोपाल ऊर्फ गोपाल

स्व.श्री पिन्ना ऊर्फ पिन्ने

ग्राम करगुवां पर. व जिला झांसी

कृषि

1000Rs.

(4)

जो कि मुकिर उक्त आराजी भूमि का सम्पूर्ण रूप से तन्हा मालिक काबिज व अधिकारी है जो कही वय अथवा रहिन आदि नही है । यानी की हर प्रकार की जुम्लावार किफालत से पाक साफ व बरी है चूँकि मुकिर को आवश्यक कार्य हेंतु रूपयो की आवश्यकता है अतः मुकिर उक्त आराजी भूमि उपरोक्त रकम में केता उपरोक्त को कतई तौर पर वय फरोक्त करते है कब्जा व दखल मालकाना उक्त आराजी भूमि पर आप केता को बखूबी आज की ही तारीख से दे दिया है केता उक्त आराजी भूमि में स्वयं खेंती करे दीगर से कराये वय अथवा रहिन आदि करे यानी केता उक्त आराजी भूमि को अपने इस्तेमाल में जैसे भी लाना चाहे ला सकते है जिसमें मुकिर व मुकिरवारसान को कोई उज्र एवं एतराज नही होगा काश किसी कानूनी नुक्श अथवा विवाद की वजह से उक्त आराजी भूमि का कुल अथवा जुज भाग कब्जा केता के हक से निकल जावे तो कुल रकम मय हर्जे व खर्चे के जुम्मेंवार व देनदार मुकिर व मुकिरवारसान होगे केता ने विकेता के पूर्ण रूप से मालिक होने एवं सम्पत्ति के निर्विवाद होने के प्रमाण देख लिये है और पूर्ण सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही केता एवं विकेता ने हस्ताक्षर किये है इस दस्तावेज का प्रारूप केता एवं विकेता द्वारा बतलाए गये तथ्यो के आधार पर एवं नक्शा नवीस द्वारा बनाये गए

रामगोपाल   भगवती

उप कोषागार, झाँसी
नम्बर 8486
नाम श्रीमती भगवती देवी
पता शिवाजी नगर
दिनांक 5-10-07
उप रजिस्ट्रार, झाँसी

उप कोषागार
-5 OCT 2007
झाँसी

354

क्रेता

कार्यालय उप कोषागार झाँसी
उप रजिस्ट्रार उप कोषाधिकारी

Registration No. 4087   Year : 2007   Book No. 1

0201 भगवती देवी
पत्नी श्री नन्द किशोर कुशवाहा
149-बी. शिवाजी नगर झांसी
गृहिणी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (5) 750548

नक्शे के आधार पर एवं सम्बधित क्षेत्रीय लेखपाल महोदय द्वारा दी गई आख्या के आधार पर एवं श्रीमान तहसीलदार महोदय झाँसी द्वारा प्रदान किये गये भू-राजस्व प्रमाण-पत्र के आधार पर एवं फोटो ग्राफर द्वारा मौके के खींचे गये चित्रो के आधार पर तैयार किया गया है स्टाम्प शुल्क को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को छुपाया नही गया है मूल्यांकन सम्बन्धी कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसके जुम्मेवार केता ही होगे शासन आदेशानुसार महिला क्रेता को दी गई छूट के अन्तर्गत 8 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है लिहाजा जरे सम्मन कुल विकय मूल्य समक्ष श्रीमान सब-रजिस्ट्रार साहब प्राप्त कर यह बैनामा स्वेच्छा पूर्वक पूर्ण होश व हवाश के बगैर किसी दवाब के सोच व समझकर तहरीर कर दिया है की सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

रामगोपाल

भगवती

उप कोषागार, झाँसी
नम्बर 8487 [illegible]
नाम [illegible]
पता [illegible]
दिनांक 5-10-7
उप कोषाधिकारी, झाँसी

उप कोषागार
-5 OCT 2007
झाँसी

क्रमांक नः 005

रजि0 वास्ते

एक किता खेत

स्थित मौजा करगुवा

नाम विक्रेता श्री रामगोपाल उर्फ गोपाल

नाम क्रेता श्रीमती भागवती देवी

चौहादी

पूर्व

पश्चिम

उत्तर

दक्षिण

रामगोपाल भगवती

5/10/07
S.R. 005

विक्रेता क्रेता

सम्राट स्टूडियो
19 अलीगोल, झाँसी
मो.9415588834

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 750547

(6)

दिनाँक – 06.10.2007 ईस्वी ।

प्रारूपकर्ता – लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एडवोकेट तहसील झाँसी। लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एड

टाईपकर्ता – गीतेश कुमार कनौजिया तहसील झाँसी।

प्रस्तुत प्रलेख के निष्पादक का सत्यापित चिन्ह
श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा
पुत्र .... पेशा एड
निवासी ...... के द्वारा प्रस्तुत है

रामगोपाल उर्फ गोपाल भगवती

साक्षी– (1) लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एड

साक्षी– (2) प्रेमनारायण / गोपालदास
मेडिकल कालेज करगुवा

उप कोषागार
5 OCT 2007
झाँसी

आज दिनांक **06/10/2007** को

वही सं **1** जिल्द सं **3324**

पृष्ठ सं. **333** से **348** पर कमांक **4087**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

श्रवण कुमार पुरवार

उपनिबंधक प्रथम

झाँसी

6/10/2007

न्यायालय तहसीलदार झाँसी

वाद 6. 21/07-8 धारा 34 LRAct

ता० फै० 13-11-2007

पेशकार

21/11/07

नक्शा-नजरी

बिक्रेता का नाम श्री रामगोपाल उर्फ गोपाल

क्रेता का नाम श्रीमती भागवती देवी

मौजा करगुवाँ

तहसील, परगना व जिला झाँसी

भूमि नम्बर २२१, २२८/१

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित सम्पत्ति के विवरण का मानचित्र

200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग) से प्रदर्शित है।

रामगोपाल

भगवती

हस्ताक्षर बिक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता